



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ 1935 (श0)
(सं0 पटना 574) पटना, वृहस्पतिवार, 18 जुलाई 2013

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई 2013

सं0 5-पुरा./वि.3-01/2013-29—“बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला, निधि अधिनियम, 1976” की धारा-3 की उप-धारा (01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, संलग्न राजस्व विवरणी में अंकित पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड के अन्तर्गत सोफा मंदिर स्थल को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 02 (दो) माह के अन्दर सम्बन्धित प्राचीन स्मारक/स्थल/अवशेष के क्षेत्र के अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा के पास पेश किया जा सकेगा।

अनु0- यथोक्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल स्मारक का नाम	अवशेष	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	चौहद्दी	जमीन की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोफा मंदिर, बेतिया	सोफा मंदिर, परिसर एवं पुरातात्विक स्थल	19	59	3.14 डी०		रास्ता
			19	62	1.47 डी०		ब्रह्म स्थान महायोगिन
			19	63	0.02 डी०		मंदिर

ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं०	जिला	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15
महायोगिन	महायोगिन	गौनाहा	शिकारपुर	179	बेतिया, पश्चिम चम्पारण	—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 574-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>